



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18430 वर्ष 2025

रणधीर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मुकेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, राकेश चन्द्र तिवारी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. आज दाखिल प्रति-शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री अशोक खरे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री मुकेश कुमार, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं श्री राकेश चन्द्र तिवारी, जिन्होंने हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया है, को सुना गया।
3. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा बार में यह कथन किया गया कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं और वे कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय इस स्तर पर किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता की प्रारम्भिक नियुक्ति 19.04.1995 को कनिष्ठ लिपिक के रूप में हुई थी तथा तत्पश्चात वर्ष 2015 में उन्हें वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित किया गया तथा वर्तमान में वे मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के कार्यालय में पदस्थापित हैं। यह भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता का प्रकरण है कि सोनू कुमार, जिन्होंने हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया है, याचिकाकर्ता के प्रति वैमनस्य रखते थे तथा वे याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्रस्तुत करते रहते थे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान परिशिष्ट-1 की ओर आकर्षित किया गया, जो पृष्ठ 14 से प्रारम्भ होकर पृष्ठ 30 तक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 7 में किया गया है, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि एक मोबाइल से याचिकाकर्ता एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध आईजीआरएस पोर्टल पर कुल 232 शिकायतें की गईं। तथापि, याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त शिकायतों पर दिनांक 11.03.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। पुनः याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता को नोटों की गिनती करते हुए पाया गया, किन्तु किसी ने उन्हें मुद्रा देते हुए नहीं देखा तथा अपर जिलाधिकारी-II द्वारा भी दिनांक 24.01.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। यह भी याचिकाकर्ता का प्रकरण है कि दिनांक 13.02.2025 को अपर जिलाधिकारी, सिटी, अलीगढ़ द्वारा शिकायत के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोप सिद्ध नहीं पाए गए। तथापि, याचिकाकर्ता के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट/जांच अधिकारी, अलीगढ़ की दिनांक 08.09.2025 के प्रतिवेदन के आधार पर याचिकाकर्ता को दिनांक 26.11.2025 को निलंबित कर दिया गया।

5. निलंबन आदेश को प्रश्नगत करते हुए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2025 को वर्तमान रिट याचिका स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कथन है कि आक्षेपित निलंबन आदेश केवल इस कारण से स्थिर नहीं रह सकता कि यद्यपि याचिकाकर्ता मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक हैं, किन्तु एक सोनू कुमार, जो एक अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति है तथा याचिकाकर्ता के प्रति वैमनस्य रखता है और जिसने हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया है, वह केवल याचिकाकर्ता के विरुद्ध है तथा वह निरंतर शिकायतें करता रहता है।

2. निवेदन यह है कि परिशिष्ट-1, जो पृष्ठ-15 से प्रारम्भ होकर प्रपत्र-पुस्तिका के पृष्ठ-30 पर समाप्त होता है, स्वयं सोनू कुमार द्वारा की गई बहुसंख्यक शिकायतों को प्रदर्शित करता है तथा उक्त शिकायतों की जांच की गई, जिसके उपरांत याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और इस संबंध में प्रपत्र-पुस्तिका के पृष्ठ-48, 51 (संबंधित अंश पृष्ठ-53/54 पर) तथा पृष्ठ-58 (संबंधित अंश पृष्ठ-61 पर) का उल्लेख किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक राजनेता, जो विधायक है, वह भी याचिकाकर्ता के पीछे था तथा उसी के आधार पर दिनांक 08.09.2025 को जांच की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के अनुसार प्रपत्र-पुस्तिका के पृष्ठ-103 पर आरोप सिद्ध नहीं पाए गए, किन्तु उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2025 के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोप सिद्ध मानते हुए निलंबित कर दिया गया। यह निवेदन किया गया कि यद्यपि आरोपों में से एक ₹2000/- के नोटों की गिनती से संबंधित है, किन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि याचिकाकर्ता को उक्त मुद्रा इस संबंध में सौंपी गई थी।

3. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्राप्त करने हेतु समय प्रार्थित किया गया।

4. श्री सुशील कुमार, जो श्री राकेश तिवारी का ब्रीफ धारित किए हुए हैं, द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12.12.2025 को एक हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु वही अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उसे अन्वेषित कर अभिलेख पर प्रस्तुत करे।

5. इस प्रकरण को 17.12.2025 को नवीन रूप में सूचीबद्ध किया जाए।"

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ.प्र., लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 26.11.2025 का आदेश केवल इस कारण से स्थिर नहीं रह सकता कि याचिकाकर्ता को निलंबित किए जाने का सम्पूर्ण आधार दिनांक 08.09.2025 का जांच प्रतिवेदन है, किन्तु उक्त जांच प्रतिवेदन में कहीं भी किसी प्रकार से यह प्रदर्शित नहीं होता कि याचिकाकर्ता ने कोई दुराचार किया है। यह निवेदन किया गया कि दिनांक 08.09.2025 के जांच प्रतिवेदन, परिशिष्ट-16, पृष्ठ 99, जिसका संबंधित अंश प्रपत्र-पुस्तिका के पृष्ठ 103 पर है, के मद संख्या-1 में केवल इतना कहा गया है कि डॉ. मोहित गोयल ने याचिकाकर्ता के साथ अपने कथन प्रस्तुत किए तथा जांच अधिकारी ने उक्त कथनों के आधार पर यह अभिमत व्यक्त किया कि श्री दिनेश खत्री, जो अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल अधिकारी के रूप में तैनात थे, उन्होंने कार्य में उदासीनता बरती तथा उक्त कार्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता एवं श्री गोयल द्वारा संपादित किया जा रहा था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 08.09.2025 के प्रतिवेदन के अंतिम अनुच्छेद में यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि याचिकाकर्ता को अवैध पारिश्रमिक लेते हुए दर्शाया गया है, किन्तु सम्पूर्ण शिकायत में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो उक्त आरोप का समर्थन करता हो तथा बिना किसी निष्कर्ष अभिलिखित किए निष्कर्ष निकाल लिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्ववर्ती प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2025, 24.01.2025 एवं 13.02.2025 का कोई भी विचार नहीं किया गया तथा मात्र दिनांक 08.09.2025 के प्रतिवेदन के आधार पर याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का प्रतिवाद करते हुए श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26.11.2025 के निलंबन आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 08.09.2025 के तथ्य अन्वेषण जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित किया गया है। तथापि, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से यह विशिष्ट प्रश्न किए जाने पर कि क्या दिनांक 08.09.2025 के प्रतिवेदन में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु कोई विचारण किया गया है, जिसमें केवल निष्कर्ष ही अंकित हैं, बिना किसी आधार के यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता न केवल नोटों की गिनती करते हुए पाए गए, अपितु उन्हें मुद्रा भी प्रदान की गई, इसका उत्तर नकारात्मक में है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता से संबंधित एकमात्र विचार पृष्ठ 103 के संबंधित अंश में उद्धृत है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित है:-

"1. साक्ष्य प्रमाण के अभाव में बिंदु संख्या 01 निराधार प्रतीत होता है।

2. बिंदु संख्या 02 के संबंध में डा० रोहित गोयल य श्री रणधीर चौधरी द्वारा दिये गये बयान के आधार से यह प्रतीत होता है कि पी०सी०पी०एन०डी०टी० एवं हॉस्पिटल का फार्म श्री दिनेश खत्री की तैनाती के पश्चात श्री दिनेश खत्री एवं श्री रणधीर चौधरी, वरिष्ठ लिपिक के द्वारा किया जा रहा है। जुलाई 2022 से 31.03.2024 तक पीसीपीएनडीटी व हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन का कार्य डा० रोहित गोयल द्वारा किया गया है। प्राइवेट सेक्टरों से मोटी स्कम लिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। आरोप आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है।

मेरे द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में लिये गये बयान एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित हो रहा है कि ए०सी०एम०ओ डा० दिनेश खत्री द्वारा पर्यवेक्षणीय शिथिलता के कारण आंशिक रूप से दोषी हैं। इसके साथ ही साक्ष्य के आधार पर कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी अलीगढ़ में कार्यरत अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



श्री रंधीर चौधरी, वरिष्ठ सहायक (तत्कालीन पटल राहायक) द्वारा पैसे के लेन-देन किये जाने एवं पटल सहायक के रूप में कार्यरत होने के कारण एवं साक्ष्य के रूप में उपलब्ध वीडियो के अवलोकन से श्री रंधीर चौधरी द्वारा पैसे के लेन-देन करते स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। किसी भी सरकारी कार्मिक द्वारा कार्यालय में पैसे का लेन-देन किया जाना कदाचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार पटल सहायक श्री रंधीर चौधरी द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी अलीगढ़ द्वारा पैसे का लेन-देन किये जाने की पुष्टि वीडियोग्राफी के अवलोकन से होती है। ऐसी दशा में कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ में तैनात वरिष्ठ सहायक श्री रंधीर चौधरी पर आरोपों की पुष्टि होती है।"

9. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निलंबन आदेश में याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई अन्य जांचों के संबंध में किए गए निष्कर्षों का कोई उल्लेख नहीं है।

10. बार के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

11. प्रत्यक्षतः, याचिकाकर्ता को दिनांक 26.11.2025 को कुछ आरोपों के संबंध में निलंबित किया गया है। वह आधार, जिसके कारण अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया, दिनांक 08.09.2025 के जांच प्रतिवेदन में निकाले गए निष्कर्ष हैं। दिनांक 08.09.2025 का जांच प्रतिवेदन परिशिष्ट-16, पृष्ठ 99 पर है तथा उक्त जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2, जैसा कि उपर्युक्त उद्धृत है, यह प्रदर्शित करता है कि ऐसा कोई अभिलेखीय सामग्री नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता अवैध पारिश्रमिक लेने में संलिप्त थे। आगे, दिनांक 08.09.2025 के जांच प्रतिवेदन में निकाले गए निष्कर्ष स्वयं यह प्रदर्शित करते हैं कि याचिकाकर्ता को अवैध पारिश्रमिक लेते हुए पाया गया। महत्वपूर्ण यह है कि दिनांक 08.09.2025 के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवेदन के मुख्य भाग, जिसमें तथ्य एवं विचार दर्शाए गए हैं, उसमें ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता मुद्रा ग्रहण करते समय अवैध पारिश्रमिक में संलिप्त थे। तथापि, दिनांक 08.09.2025 के प्रतिवेदन के निष्कर्ष भाग में, बिना किसी आधार के, यह अवलोकन किया गया है कि याचिकाकर्ता न केवल मुद्रा नोटों की गिनती करते हुए पाए गए, अपितु अवैध पारिश्रमिक लेने में भी संलिप्त थे। इसके अतिरिक्त, न्यायालय यह भी पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायतों के आधार पर पूर्व में दिनांक 24.01.2025, 13.02.2025 एवं 11.03.2025 को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों का दिनांक 08.09.2025 के प्रतिवेदन में कोई विचार नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया, न्यायालय पाता है कि दिनांक 05.12.2025 को याचिकाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को आरोप-पत्र प्रदान किया गया है तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय यह पाता है कि याचिकाकर्ता को निलंबन में बनाए रखना अनावश्यक है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्णय किया जाता है:-

(क) निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ.प्र., लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 26.11.2025 का आदेश निरस्त किया जाता है; (ख) चूंकि आरोप-पत्र की प्रति दिनांक 16.12.2025 के निर्देशों के साथ आज ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रदान की गई है, अतः यह मान लिया जाएगा कि याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र का पूर्ण ज्ञान है; (ग) याचिकाकर्ता दिनांक 06.02.2026 तक आरोप-पत्र पर अपना आपत्ति प्रस्तुत करेगा; (घ) जांच अधिकारी आज से तीन माह की अवधि के भीतर जांच पूर्ण करेंगे। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा। याचिकाकर्ता को दिनांक 26.11.2025 से, जब उसे निलंबित किया गया, से लेकर निलंबन की समाप्ति अर्थात् आज तक जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता जांच में भाग नहीं लेता है तथा अनावश्यक स्थगन लेता है, तो जांच अधिकारी के लिए कार्यवाही को पूर्ण करना खुला रहेगा।

13. उपर्युक्त अवलोकनों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

14. आज प्रस्तुत निर्देश अभिलेख पर लिए जाते हैं तथा उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

16 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।